न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या-56 वर्ष–2024

जगदीश बनाम कैलाशी वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
24.04.2024	मूल वाद के साथ श्री नरेन्द्र कुमार जाट एड0 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावें। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकले राजस्व अभिलेख तथा एक पक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया। प्रथम दृष्टिया मामला प्रांर्थी के पक्ष मे होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे होने तथा अपूरर्णीय क्षति की संभावना को देखते हुये अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के जवाब पेश होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 104/1 रकबा 0.6323 हैक्टेयर खसरा नम्बर 104/2 रकबा 0.3541 हैक्टेयर खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0379 हैक्टेयर खसरा नम्बर 112 रकवा 0.2656 हैक्टर खसरा नम्बर 113 रकबा 0.3035 हैक्टर खसरा नम्बर 114 रकवा 0.0253 हैक्टेयर खसरा नम्बर 117 रकबा 0.2403 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.8590 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 93/5 रकबा 0.5438 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 144 रकबा 0.2656 हैक्टेयर खसरा नम्बर 153 रकबा 0.1012 हैक्टर खसरा नम्बर 156 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4680 हैक्टेयर वाके ग्राम डांगरथल पटवार हल्का डांगरथल प्रथम तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 05 लगायत 08 को आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यदि इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजिस्टर्ड एडी से की जाकर एवं रजिस्टर्ड एडी पेश नही करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 23.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	
23.5.24	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली मय आदेशानुसार दिनांक...... ...को पेश हो। 31/7/24	
31.07.24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र नोट-प्रेस करते हुए प्रकरण खारिज फरमाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने भी नोट-प्रेस अंकित कर प्रकरण खारिज फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थी एवं अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदनानुसार प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	not press

D/Rajsw/T-I